न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–   92 / 2025

स्टेट जरिये श्री देवेन्द्र सिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

प्रार्थी

–:बनामः–

लीलाधर पुत्र स्व0 जगदेव कुमार अग्रवाल (विक्रेता / खाद्य कारोबारकर्ता)
मैसर्सः–श्री बालाजी सेल्स एजेंसी, अग्रसेन मार्केट, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–श्याम सुंदर आश्रम के पास, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
राजेश कुमार पुत्र स्व0 जगदेव कुमार अग्रवाल (फर्म मालिक)
मैसर्सः– श्री बालाजी सेल्स एजेंसी, अग्रसेन मार्केट, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–वार्ड नं. 17, कैनाल कॉलोनी वाली गली, संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
हरीप्रसाद पारीक पुत्र शिवकुमार पारीक (प्रोपराइटर निर्माता फर्म)
मैसर्सः–सतगुरू ट्रेडिंग कंपनी, कड़वासरा फ्लोर मिल के पास, बंगलानगर, बीकानेर।
निवासीः–वार्ड नं. 12, खाजुवाला, बीकानेर।
विक्रांत कानु भाई शाह (प्रोपराईटर निर्माता फर्म)
मैसर्सः–हर्ष मार्केटिंग, ब्लॉक नं. सी / 1, शॉप नं. 512, 5th फ्लोर, श्रीजी हाइटस, लक्ष्मी स्काई सिटी के पास, कलश पार्टी प्लॉट के सामने हन्सपुरा, नारोदा, अहमदाबाद, गुजरात।
निवासीः–3401 / पलास पर्ल, सदभाव रेजीडेंसी के सामने, पार्थ रेजीडेंसी के पास, एम.जी. रोड़, सदगुरू, बंगलोज क्रॉस रोड के पास, निकॉल, अहमदाबाद, गुजरात।

–अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः–

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी–01 एवं 02 स्वयं तथा अधिकृत प्रतिनिधि अप्रार्थी–03 एवं 04 ।

–:निर्णयः–

दिनांक :–06.03.2026

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह राणावत दिनांक 13.09.2024 को समय 08.10 पी.एम. पर मैसर्सः–श्री बालाजी सेल्स एजेन्सी, अग्रसेन मार्केट, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर उपस्थित लीलाधर अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर खाद्य कारोबारकर्ता ने उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र मांगा जिस पर उन्होंने स्वयं के एवं फर्म मालिक के पहचान के तौर पर आधार कार्ड, जीएसटी एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां मौके पर प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ घी वातुला ब्राण्ड (विभिन्न पैंकिगों में मात्रा लगभग 565 लीटर) व अन्य किराना सामान आदि आम जनता को विक्रय किया जा रहा था एवं विक्रय हेतु रखा हुआ था। मौके पर परिसर में रखे घी वातुला के 01–01 लीटर के कुल 04 सील्ड प्लास्टिक जार में गुणवता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीद कर उसकी कीमत 1344 / –रूपये विक्रेता / खाद्य कारोबारकर्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता / खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी द्वारा मौके पर पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रतियां रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता / खाद्य कारोबारकर्ता ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता / खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उक्त घी वातुला का खरीद बिल (सतगुरू ट्रेडिग कंपनी द्वारा जारी) प्रस्तुत किया जो कि संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा उक्त खाद्य पदार्थ के चार नमूना भाग तैयार कर अलग–अलग नमूना भाग हेतु लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर नमूने का विवरण, दिनांक व स्थान तथा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कोड एवं क्रमांक दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एके–3604 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Page 2 of 2

गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। शेष बचे खाद्य पदार्थ को मेरे द्वारा नियमानुसार सील/सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता/व्यापारी की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया। मौका कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को पढ़कर हस्ताक्षर हेतु कहा, इन्होंने मौका फर्द पढ़कर हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/13239–40 दिनांक 17.10.2024 द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/3738/एक्ट/2024/3614 दिनांक 24.09.2024 व पत्रांक 2738/39 दिनांक 25.02.2025 से प्राप्त रेफरल जांच रिपोर्ट संख्या 1438 F/FSSA/2024 दिनांक 12.02.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया उक्त खाद्य पदार्थ घी वातुला ब्राण्ड Substandard होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/11507–08 दिनांक 07.08.2025 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। पत्र की प्रति संलग्न आवेदन है। उक्त केस में अभियुक्तगण द्वारा Substandard खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। इसलिए विक्रेता पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अधिकतम जुर्माने से दण्डित कर प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 ने स्वयं उपस्थित होकर संयुक्त रूप से कथन किया कि उक्त घी अप्रार्थीयान द्वारा अप्रार्थी–03 से डिब्बा बंद लिया था और डिब्बा बंद ही आगे बेचान किया जा रहा था उनके द्वारा स्वयं के स्तर पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अप्रार्थी–3 की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त घी अप्रार्थी–04 से खरीदा था। अप्रार्थी–04 की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी वातुला ब्रांड के नाम से घी की निर्माता फर्म है। अप्रार्थी की फर्म के नाम से पूर्व में किसी भी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया गया है एवं पहली बार अप्रार्थी की फर्म से कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं पाया गया है। अप्रार्थी की फर्म गुणवतापूर्वक पदार्थों का ही बेचान करती है। अतः कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करें। भविष्य में गलती की पुनरावृति नही होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Ghee (Vatula Brand) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Substandard Ghee (Vatula Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थीयान पर संयुक्त रूप से 40,000/–(अखरे रूपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि मौके पर सीज घी का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़